राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 1(17)एमई / ग्रुप–1 / 2012 जयपुर, दिनांक : 8 JUL 2016

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम–5 के अन्तर्गत न्यूरोसर्जरी विशिष्ठता के चिकित्सक शिक्षकों को पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु डीएसीपी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 25.1.2013 को आयोजित की गई थी। कमेटी की अनुशंषा पर विभागीय आदेश क्रमांक प.1(17)एमई / ग्रुप–1 / 2012 दिनांक 12.2.2013 के द्वारा डॉ. मनीष अग्रवाल, सहायक आचार्य न्यूरोसर्जरी को दिनांक 01.7.2012 से सह आचार्य, न्यूरोसर्जरी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई थी।

सह आचार्य, न्यूरोसर्जरी पद की वर्ष 2010–11 की 01 रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति हेतु दिनांक 21.9.2015 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। समिति की अनुशंषा पर डॉ. मनीष अग्रवाल को वर्ष 2010–11 की रिक्ति के विरूद्ध वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर सहायक आचार्य से सह आचार्य के पद पर आदेश क्रमांक प. 1(104)एमई / ग्रुप–1 / 89 दिनांक 16.11.2015 के द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई।

डॉ. अग्रवाल को डीपीसी द्वारा वर्ष 2010–11 की रिक्ति के विरूद्ध सह आचार्य के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप डीएसीपी स्क्रीनिंग कमेटी की दिनांक 25.1.2013 की अनुशंषा को डॉ. मनीष अग्रवाल, सह आचार्य, न्यूरोसर्जरी के प्रकरण में रिव्यू करने के लिए डीएसीपी स्क्रिनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 03.6.2016 को आयोजित की गई। रिव्यू स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंषा पर बैठक दिनांक 25.1.2013 की अनुशंषाओं में से डॉ. मनीष अग्रवाल, सहायक आचार्य के संबंध में उन्हें दिनांक 01.7.2012 से सह आचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु की गई अनुशंषा को निरस्त कर, उसमें से डॉ. अग्रवाल का नाम विलोपित किया जाता है तथा डॉ. अग्रवाल को उनकी पात्रता अनुसार डीएसीपी स्कीम के तहत दिनांक 01.4.2015 से आचार्य पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

आदेश से,

(डी.एल. तवंर)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज.,जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज.,जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर / अजमेर / कोटा / बीकानेर / जोधपुर / उदयपुर।
7. सहायक प्रोग्रामर, चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव